



**बिहार सरकार**  
**(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)**  
**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार**  
**(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

संख्या—FC-.....1324

प्रेषक,

**ए०कें०पाण्डेय,** भा०व०से०

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— 21/12/2018

**विषय—** श्री प्रेम आनन्द द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत खाता संख्या—08, 106(न्यू), खेसरा / सर्वे संख्या—3739, 3740 (न्यू), NH-57 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0342 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि सुपौल जिलान्तर्गत खाता संख्या—08, 106(न्यू), खेसरा / सर्वे संख्या—3739, 3740 (न्यू), NH-57 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0342 हे. वन भूमि अपयोजन हेतु श्री प्रेम आनंद, पिता—शिव नन्दन प्रसाद, एट+पो.—तमौरिया, थाना—लकहिनोर, जिला—मधुबनी, पिन—847410 का प्रस्ताव वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के पत्रांक 1111, दिनांक 05.11.2018 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। तथा दिनांक 19.12.2018 को जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण—पत्र प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या—921(ई.) दिनांक 28.08.1997 द्वारा “सुरक्षित वन” के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC- 106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.0342 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. अपयोजन प्रस्ताव के लिए जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम' 2006 (FRA, 2006) प्रमाण पत्र की मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

4. अपयोजित होने वाली भूमि का GEO Referenced Map, shape File एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल के प्रपत्र-II में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर वृक्ष का पातन नहीं किया जाना है तथा प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0 (शून्य) अंकित किया गया है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आसपास कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

- (i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।
- (ii) 0.0342 हेक्टेएर वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में ₹ 0 6.26 लाख प्रति हेक्टेएर के दर से ₹ 0 21,410/- (एकर्ईस हजार चार सौ दस रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 50 (पचास) वृक्षों के रोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उक्त भूमांग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
- (v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

हेक्टेएर

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC-...1337..

दिनांक— 21/12/2018

प्रतिलिपि : श्री प्रेम आनंद, पिता—शिव नन्दन प्रसाद, एट+पो.—तमौरिया, थाना—लकहिनोर,  
जिला—मधुबनी, पिन—847410 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Releasued 21/12/2018*  
(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।